भारत सरकार गृह मंत्रालय लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *332

दिनांक 17.03.2020/27 फाल्गुन, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

अवैधानिक घुसपैठिये

*332. श्री अनुराग शर्माः श्री राजवीर दिलेरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या विभिन्न धार्मिक स्थलों पर अवैधानिक विदेशी घुसपैठियों की मौजूदगी का पता चला है तथा उनकी गतिविधियों से संबंधित समाचार विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित होते रहते हैं;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसे घुसपैठियों को झुग्गियां बनाकर उन धार्मिक स्थलों के आस-पास रहने से रोकने तथा उनकी गतिविधियों पर भी रोक लगाने हेतु राज्य सरकारों को परामर्श जारी करने का विचार है;
- (ग) क्या सरकार का जाली दस्तावेज़धारक ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिये राज्य सरकारों को परामर्श देने का विचार है;
- (घ) क्या उक्त जाली दस्तावेज़ों को बनाने में उनकी मदद करने वाले व्यक्तियों अथवा कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की सलाह दिये जाने का भी प्रस्ताव है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लो.स.ता.प्र.सं. 332 दिनांक 17.03.2020

"अवैधानिक घुसपैठिये" के संबंध में दिनांक 17 मार्च, 2020 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.*332 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): ऐसे अवैध आप्रवासियों की मौजूदगी के संबंध में सूचनाएं मिली हैं, जिन्होंने देश में वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना चोरी-छिपे और छलपूर्वक प्रवेश किया है। उनमें से कुछ भारत में अपने रहने की अधिकृत अविध के समाप्त होने के बाद भी अवैध तरीके से रह रहे हैं। उनके धार्मिक स्थानों में रहने की संभावना से पूरी तरह इंकार नहीं किया जा सकता। कुछ अवैध आप्रवासियों द्वारा कानून का उल्लंघन किये जाने और अवैध गतिविधियों में लिप्त होने के मामले भी सूचित हुए हैं।

सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह प्रदान की गई है कि वे अवैध प्रवासियों की पहचान करने, कानून के प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर उनकी आवाजाही को प्रतिबंधित करने, उनके बॉयोग्राफिक और बॉयोमैट्रिक विवरण एकत्रित करने तथा जाली भारतीय दस्तावेजों को रद्द करने के लिए तत्काल उपयुक्त कदम उठाये जाने हेतु विधि प्रवर्तन और आसूचना एजेंसियों को अवगत कराएं। उन्हें आगे यह भी सलाह दी गई है कि वे कानून के प्रावधानों के अनुसार, निर्वासन प्रक्रियाओं समेत कानूनी कार्रवाई शुरू करें तथा जिन अवैध प्रवासियों ने गलत तरीके से आधार कार्ड हासिल किए हैं, उनकी जानकारियां उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए युआईडीएआई के साथ साझा करे।

राष्ट्रीयता के सत्यापन की उचित प्रक्रिया के पश्चात अवैध प्रवासियों का पता लगाना और उनका निर्वासन करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। केंद्र सरकार को विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(ङ) और धारा 3(2)(ग) के तहत देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों को डिटेन करने और उन्हें निर्वासित करने की शक्तियां प्राप्त हैं। पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 5 के अंतर्गत, केंद्र सरकार एक आदेश के द्वारा भारत से ऐसे किसी व्यक्ति को निकालने का भी निर्देश दे सकती है, जो वैध पासपोर्ट के बिना भारत में प्रवेश करता है। वर्ष 1958 से केंद्र सरकार की ये शक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 258(1) के

लो.स.ता.प्र.सं. 332 दिनांक 17.03.2020

तहत सभी राज्य सरकारों को भी सौंपी गई हैं। इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 239(1) के तहत, वर्ष 1958 से उपर्युक्त शिक्तयों से संबंधित केंद्र सरकार के कार्यों का निर्वहन करने का निदेश सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को भी दिया गया है। विदेशी राष्ट्रिकों के निर्वासन/प्रत्यावर्तन के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 24.04.2014 और 01.07.2019 को समेकित निर्देश जारी किए हैं।

फर्जी/जाली दस्तावेज जारी करने में अवैध आप्रवासियों की मदद करने के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में आता है।
